



पत्रांक :- निदे०(मा०सं०) / उपाकालि / का०जी०

दिनांक: -02-2010

कार्यालय-ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित याचिका सं० 264 (एस/एस)/1999 (विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उ०प्र० बनाम यू०पी० स्टेट एवं अन्य) तथा याचिका सं० 1289 (एस०बी०)/2003 (ए०जी० मोइनुद्दीन एवं अन्य बनाम उ०प्र० पा०का०लि० एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.07 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उ०प्र० पा०का०लि० द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका सं० 21712-21713/2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 27.07.09 एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं० 703/निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/काजी/21712/07, दिनांक 17.02.2010 के अनुपालन में पूर्ववर्ती परिषद् की विज्ञप्ति सं० 531-विनियम-23/रा०वि०प०-98 दिनांक 22.12.1998 द्वारा निर्गत उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-1998 प्रभावी होने की तिथि दिनांक 01.04.84 से निरस्त कर दिए जाने के फलस्वरूप एतद्वारा निम्नलिखित आदेश दिए जाते हैं :-

1. "उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद्" लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-1998 के निरस्त होने के फलस्वरूप आदेश सं० 1992-काविनी/राविप/29/98 दिनांक 11.12.98 एवं उक्त विनियमावली-1998 के निर्गमन के उपरान्त उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेश निरस्त किए जाते हैं।
2. उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली-1970 (प्रथम संशोधन सहित) अब पुनः दिनांक 01.04.1984 से प्रभावी हो गयी है एवं इसके फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय कर्मचारियों के समयबद्ध वेतनमान/सेवानैवृत्तिक लाभ तदनुसार विनियमित होंगे तथा उपरोक्त सन्दर्भित माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ के दिनांक 23.08.2007 के निर्णयानुसार, देय धनराशि पर, याचिकाकर्ताओं को 10% वार्षिक ब्याज अनुमन्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 760 निदे०(मा०सं०) / उपाकालि / का०जी० / तद दिनांक: 22/02/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, निदेशक (वित्त/परियोजना/मा०सं०/परिचालन), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 3- मुख्य महाप्रबन्धक (वाणिज्य), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 4- समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि।
- 5- समस्त उपमहाप्रबन्धक (वितरण/परियोजनायें/जानपद), उपाकालि।
- 6- कम्पनी सचिव एवं उप महाप्रबन्धक (विधि), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 7- उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक/मा०सं०/सा०प्र०), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 8- उपमहाप्रबन्धक (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि।
- 10- श्री सुरेन्द्र कुमार भाटिया, कार्मिक अधिकारी, कार्मिक विभाग, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 11- समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उपाकालि, ऊर्जा भवन।
- 12- कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाइल/मास्टर कट फाइल।

(शरद कृष्ण)
निदेशक (मानव संसाधन)